



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक एफ.1 (1537)आ.उ./पीएडी अनु./से.नि./2018

दिनांक 06-11-2018

आदेश

उद्योग विभाग के निम्नलिखित अराजपत्रित कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या -5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या-6 में अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है। सेवानिवृत्ति दिनांक को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/जिला स्तरीय अधिकारी अपने स्तर से कार्यमुक्त आदेश जारी करेंगे।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री हेमाराम	अति. प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के. जालौर	01.02.1959	31.01.2019
2	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	वरिष्ठ सहायक	मुख्यालय	05.01.1959	31.01.2019
3	श्री कालूराम माली	वाहन चालक	जि.उ.के. सिरोही	12.01.1959	31.01.2019
4	श्री देवी लाल रैगर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के. भीलवाड़ा	09.02.1959	28.02.2019
5	श्री रामस्वरूप मोर्य	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मुख्यालय	07.03.1959	31.03.2019
6	श्री फकरुद्दीन अ.अहमद	अति. प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के. कोटा	06.04.1959	30.04.2019
7	श्रीमती अंगूरी देवी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के. भरतपुर	10.04.1959	30.04.2019
8	श्री धीराराम पोटलिया	निरीक्षक विधिक माप विज्ञान	जि.उ.के. बाडमेर	09.05.1959	31.05.2019
9	श्री सुधीर कुमार	सहा. प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के. मिवाडी	28.05.1959	31.05.2019
10	श्री सुरेन्द्र थानवी	आशुलिपिक	जि.उ.के. जोधपुर	01.07.1959	30.06.2019
11	श्री गुरुदत्त शर्मा	सहा. प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के. भरतपुर	01.07.1959	30.06.2019
12	श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा	वरिष्ठ सहायक	मुख्यालय	10.06.1959	30.06.2019
13	श्री भोलाराम रैगर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के. जयपुर श.	10.06.1959	30.06.2019
14	श्री गोविन्द बसन्दानी	सहा. प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के. अजमेर	11.07.1959	31.07.2019
15	श्री सत्यनारायण व्यास	सहा. प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के. बीकानेर	21.07.1959	31.07.2019
16	श्री भीकाराम शर्मा	वरिष्ठ सहायक	जि.उ.के. पाली	05.07.1959	31.07.2019
17	श्री वेदप्रकाश बलाई	वरिष्ठ सहायक	मुख्यालय	03.07.1959	31.07.2019
18	श्री रामस्वरूप शर्मा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के. टोंक	15.07.1959	31.07.2019
19	श्री मुन्नालाल सैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मुख्यालय	30.07.1959	31.07.2019
20	श्री मालाराम मेघवाल	वरिष्ठ सहायक	जि.उ.के. सिरोही	15.08.1959	31.08.2019
21	श्री रामस्वरूप वैष्णव	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के.चित्तौड़गढ़	07.08.1959	31.08.2019
22	श्री जगदीश सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के. पाली	15.08.1959	31.08.2019
23	श्री मांगीलाल नाथ	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के.स.माधोपुर	25.08.1959	31.08.2019
24	श्री गोविन्द सिंह	हाथकरघा निरीक्षक	जि.उ.के.चित्तौड़गढ़	05.09.1959	30.09.2019
25	श्री दामोदर लाल योगी	निजी सहायक	जि.उ.के. करौली	15.09.1959	30.09.2019
26	श्री अखिलेश कुमार पोरवाल	सहा. प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के. कोटा	07.09.1959	30.09.2019
27	श्री रमेश कुमार गोठवाल	सहा. प्रशासनिक अधिकारी	मुख्यालय	06.09.1959	30.09.2019
28	श्री अनिल कुमार	निजी सहायक	जि.उ.के. बीकानेर	13.10.1959	31.10.2019
29	श्री कैलाश दान	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के. पाली	04.10.1959	31.10.2019
30	श्री अरमान अली	अति. प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के. जालौर	26.11.1959	30.11.2019
31	श्री युवराजसिंह पवार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के. पाली	20.12.1959	31.12.2019
32	श्री मानसिंह चौहान	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के. डूंगरपुर	01.01.1960	31.12.2019



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.3.2015 के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध :-

1. क्र.सं. 08 पर अंकित श्री धीराराम पोटलिया, निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, जिला उद्योग केन्द्र, बाड़मेर वर्तमान में निलम्बित हैं, एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 अन्तर्गत जॉच विचाराधीन है। शेष कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई जॉच विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उपरोक्त कर्मचारियों के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना आवश्यक होगा।

आयुक्त, उद्योग एवं
शासन सचिव, सी.एस.आर.

क्रमांक एफ.1 (1537)आ.उ./पीएडी अनु./से.नि./2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक 06-11-2018

1. निदेशक, पेंसन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, उद्योग, मुख्यालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर/अजमेर।
4. संयुक्त निदेशक, संस्थापन/सतर्कता/कम्प्यूटर, मुख्यालय, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश में वर्णित कार्मिक का नाम, जन्मतिथि व सेवानिवृत्ति तिथि की जॉच संबंधित कार्मिक के सेवाभिलेख से कर लें, यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो अथवा किसी कार्मिक का नाम उक्त आदेश में अंकित होने से रह गया हो, तो सूचना इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस की अवधि में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से सूचित करें ताकि वांछित संशोधन जारी किया जा सके।
7. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा प्रावधानी निधि विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. उप निदेशक, आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
10. संबंधित कर्मचारी.....
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, उद्योग
(प्रशासन)